न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :— 15/2021

शीर्षक

1. धोली देवी पत्नी बंशीधर मीणा, जाति मीणा, उम्र—50 वर्ष, निवासी लेट का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज.
2. संज्या देवी पत्नी रामनारायण मीणा, जाति मीणा, उम्र—55 वर्ष, निवासी लेट का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज.

—वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

—प्रतिवादी

दावा बाबत् दुरूस्ती ईन्द्राज एवं खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 3/5/2023

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 140/0.34, 141/0.48, 142/0.11, 143/0.20, 144/0.04, 145/0.25, 146/0.48, 147/0.14, 148/0.12, 149/0.23, 150/0.31 है कुल किता—11 कुल रकबा 2.70 है0 स्थित वाकै ग्राम लेट का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीया सं0—1 हिस्सा 1/12 एवं वादीया सं0—2 हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है, जमाबन्दी सं0—2074 से 2077 संलग्न वादपत्र है उक्त भूमि को आगे के पैराज में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण बिना किसी बाधा के हाल आबद काबिज काश्त रहकर काश्त करती आ रही है, एवं वर्तमान में भी हाल आबाद काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि में वल्दीयत पिता भोलाराम की अंकित है वादीगण का विवाह हो चुका है एवं सभी दस्तावेजातों में वादीयागण के नाम के आगे उसके पति का नाम दर्ज है परन्तु वादग्रस्त आराजी में वादीयागण के आगे उनके पिता भोलाराम का नाम दर्ज है जिससे वादीयागण को अपनी वादग्रस्त आराजी पर बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने एवं भूमि पर सरकारी सुविधा प्राप्त करने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है एवं वादीया अपनी भूमि पर सरकारी योजना का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पा रही है। वादीया अपने नाम से पिता का नाम हटाकर अपने पति का नाम दर्ज करवाना चाहती है जो कि काबिले दुरूस्ती है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया सं0—1 का धोली पुत्री भोलाराम एवं वादीया सं0—2 संज्या देवी पुत्री भोलाराम नाम दर्ज है जिसको वादीया सं0—1 धोली देवी पत्नी बंशीधर जाति मीणा निवासी लेट का बास, तह0शाहपुरा एवं वादीया सं0—2 संज्या देवी पत्नी रामनारायण जाति मीणा निवासी लेट का बास, तह0शाहपुरा करवाना चाहती है वादीयागण अपने नाम के आगे मात्र उसके पति का नाम दर्ज करवाना चाहती है जो कि काबिले दुरूस्ती है।

वादग्रस्त भूमि वादीया के हक अधिकार की होने से वादीया को दुरूस्ती इन्द्राज खातेदारी करवाने का हक अधिकार है यदि वादीया की भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नहीं किया गया तो वादीया की भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नहीं किया गया तो वादीया को अकथनीय हानि होगी एवं अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। वादीयागण ने अपने हिस्से में दुरूस्ती इन्द्राज चाही है इसलिए राज्य सरकार वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादी लोक सेवक है जिन्हें वाद पत्र प्रस्तुति से पूर्व 2 माह का दफा—80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद पत्र अतिआवश्यक प्रकृति का होने से नहीं दिया जा सका है धारा—80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र पृथक से प्रस्तुत कर दिया गया है।

अतः वादपत्र दो प्रतियों में पेशकर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक डिक्री एवं निर्णय वादीयागण इस आशय की फरमायी जावे कि वे हाल आराजी खसरा नम्बर 140/0.34, 141/0.48, 142/0.11, 143/0.20, 144/0.04, 145/0.25, 146/0.48, 147/0.14, 148/0.12, 14920.23, 150/0.31 है कुल किता—11 कुल रकबा 2.70 है0 स्थित वाकै ग्राम लेट का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में वादीया सं0—1 का नाम धोली पुत्री भोलाराम जाति मीणा सा. किशनपुरा के स्थान पर धोली देवी पत्नी बंशीधर जाति मीणा निवासी लेट का बास एवं वादीया सं0—2 का नाम संज्या देवी पुत्री भोलाराम जाति मीणा सा. किशनपुरा, के स्थान पर संज्या देवी पत्नी रामनारायण जाति मीणा, निवासी लेट का बास, तह0शाहपुरा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान् बहक वादीयागण उचित समझे दिलवाया जावे।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण तहसीलदार शाहपुरा की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रश्नागत आराजी जरियें विक्रय पत्र से खातेदार दर्ज है तथा वादिया अब वर्तमान में अपने पिता का नाम हटाकर पति का नाम दर्ज करवाना चाहती है तथा वर्तमान में ग्राम लेटकाबास के निवासी है। वादियागण की ओर से स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया तथा साक्ष्य वादी में नन्दाराम पुत्र कालूराम

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

मीणा निवासी लेटकाबास ने अपना शपथ पत्र पेश कर वादपत्र. में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए वादियागण के नाम के आगे पिता का नाम हटाकर पति का नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया ।

प्रकरण में वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया कि वादियागण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में पिता का नाम दर्ज होने तथा अन्य दस्तावेजात में वादियागण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में वादियागण के नाम के आगे पति का नाम अंकित होने से सरकारी/ गैरसरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित होना पड रहा है साथ ही यह भी जाहिर किया कि अन्य दस्तावेजात में पति का नाम दर्ज होने से भूमि में पिता का नाम दर्ज होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रश्नागत आराजी वादियागण की खरीद शुदा भूमि है लेकिन वादियागण अब अपने सभी अन्य दस्तावेजात में अपने नाम के आगे पति का नाम लगाने से वादगस्त आराजी में पिता का नाम दर्ज होने से काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जबकि प्रार्थीया/वादिया उक्त भूमि के खातेदार में दर्ज है जिसे अपने नाम के आगे पति का नाम लगाकर दुरूस्त कराना चाहती है इस प्रकार वकील वादी की बहस तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, एवं साक्ष्य वादी के शपथ पत्रों के अवलोकन से प्रश्नागत आराजी में वादिया के नाम के आगे दर्ज पिता का नाम दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी के हक में डिकी किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 140/0.34, 141/0.48, 142/0.11, 143/0.20, 144/0.04, 145/0.25, 146/0.48, 147/0.14, 148/0.12, 149/0.23, 150/0.31 है कुल किता–11 कुल रकबा 2.70 है0 स्थित वाकै ग्राम लेट का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर वर्तमान में दर्ज नाम धोली पुत्री भोलाराम जाति मीणा सा. किशनपुरा के स्थान पर धोली देवी पत्नी बंशीधर जाति मीणा निवासी लेटकाबास एवं वादीया सं0–2 का नाम संज्या देवी पुत्री भोलाराम जाति मीणा सा. किशनपुरा, के स्थान पर संज्या देवी पत्नी रामनारायण जाति मीणा, निवासी लेटकाबास, तह0शाहपुरा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिख जावे । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/5/2023 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 15/2021

शीर्षक

3. धोली देवी पत्नी बंशीधर मीणा, जाति मीणा, उम्र–50 वर्ष, निवासी लेट का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज.
4. संज्या देवी पत्नी रामनारायण मीणा, जाति मीणा, उम्र–55 वर्ष, निवासी लेट का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज.

–वादीगण

बनाम

2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादी

दावा बाबत् दुरूस्ती ईन्द्राज एवं खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 3/4/2023

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 140/0.34, 141/0.48, 142/0.11, 143/0.20, 144/0.04, 145/0.25, 146/0.48, 147/0.14, 148/0.12, 149/0.23, 150/0.31 है कुल किता–11 कुल रकबा 2.70 है0 स्थित वाकै ग्राम लेट का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर वर्तमान में दर्ज नाम धोली पुत्री भोलाराम जाति मीणा सा. किशनपुरा के स्थान पर धोली देवी पत्नी बंशीधर जाति मीणा निवासी लेटकाबास एवं वादीया सं0–2 का नाम संज्या देवी पुत्री भोलाराम जाति मीणा सा. किशनपुरा, के स्थान पर संज्या देवी पत्नी रामनारायण जाति मीणा, निवासी लेटकाबास, तह0शाहपुरा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिख जावे ।

निर्णय आज तारीख 3/4/2023... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड़	